शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री जगदीश प्रधान

दिनांक : 27.02.19

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 134

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	गौ शालाओं की क्षमता में वृद्धि करने तथा नई गौशालाएं खोलने की सरकार की क्या योजना है;	**सचिव–सह–विकास आयुक्त** गौशालाओं की क्षमता में वृद्धि करने तथा नई गौशाला खोलने के लिए सरकार ने "पशु स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति–2018" के तहत दिल्ली के प्रत्येक जिले में 2–3 गौशाला खोलने का निर्णय लिया गया है, प्रत्येक गौशाला हेतु 15–20 ऐकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। **दिल्ली छावनी परिषद** दिल्ली छावनी परिषद द्वारा ऐसी किसी भी नीति का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। किंतु नियमित आधार पर आवारा पशुओं को संबंधित गौशाला/गौसदन में भेज दिया जाता है। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** यह प्रश्न पशु पालन विभाग दिल्ली सरकार से संबंधित है क्योंकि गौशालाओं का नियंत्रण पशु पालन विभाग दिल्ली सरकार के अधीन है। **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** इस सन्दर्भ में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कोई योजना नहीं है। **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** यह प्रश्न विकास विभाग, दिल्ली सरकार से सम्बन्धित/अधिकार क्षेत्र में है।
ख	सरकार द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 में प्रत्येक गौशाला के लिए कितनी राशि आबंटित की गई	**सचिव–सह–विकास आयुक्त** पशुपालन ईकाई विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निहित गौशाला/गौ सदन को आवंटित राशि का वर्षानुसार वर्णन निम्नलिखित है:–

क्र. सं.	गौशाला/गौसदन का नाम	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19 पहली किस्त (जनवरी 2019 तक)
1	मानव गौसदन, गांव रेवला, खानपुर	2531318	8253798	3828440	1895060
2	श्री कृष्णा गौशाला, सुल्तानपुर डबास	29453002	105601460	57018260	28526440
3	गोपाल गौशाला, गांव हरेवली	14630029	52075925	26562900	12892560
4	डॉबर हरे कृष्णा गौशाला, गांव सुरहेरा	7813967	19316411	11049100	5616080
5	आचार्य सुशील मुनी गौसदन, घुम्मनहेडा	5481684	14239787	....	....

दिल्ली छावनी परिषद

उपरोक्त 'क' के अनुसार

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गायों के चारे के लिए (फीडिंग चार्ज) 20 रूपये प्रति पशु प्रति दिन दिल्ली नगर निगम तथा 20 रूपये प्रति पशु प्रति दिन पशु पालन विभाग दिल्ली सरकार द्वारा दिए जाते हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई राशि निम्न प्रकार है।

वर्ष	आचार्य सुशील मुनी गौशाला	डाबर हरे कृष्णा गौशाला	मानव गौसदन
2015–16	76,15,840	4,84,380	31,31,320
2016–17	97,22,120		41,27,200
2017–18		62,40,460	60,99,300
2018–19		61,30,460	28,35,540

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

दिल्ली सरकार द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम गौशालाओं के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

राज्य सरकार द्वारा इस मध में अभी तक कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा निम्न वित्तीय वर्षों में शीर्ष लेखा 38–1022 (नान–प्लान) में निम्न राशि आवंटित की गई है।

वर्ष	रूपये
2015–16	240 लाख
2016–17	240 लाख
2017–18	240 लाख
2018–19	240 लाख

ग

गौ शालाओं में गऊओं के लिए चारा उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है तथा सरकार द्वारा इसकी सप्लाई सुनिश्चित करने की क्या व्यवस्था है ?

सचिव–सह–विकास आयुक्त

गौशालाओं में गौउओं के लिए चारा उपलब्ध कराने का दायित्व गौशाला प्रबन्धन का है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No.14175/05 और Civil Misc.Petition No.2623 और 2634/2006 के तहत दिनांक 01.03.2006 को एक आदेश पारित किया था जिसमें निर्देशित किया था की गौशालाओं में गउओं के स्वास्थ्य के रखरखाव के उद्देश्य से प्रति गाय प्रति दिन रूपये 25 का भुगतान किया जाये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को रूपये 5 प्रतिदिन प्रति गाय और रूपये 20 प्रति दिन प्रति गाय दिल्ली नगर निगम द्वारा भुगतान किया जाना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने आदेश संख्या F.12(226)/AHD/FEEDING/2011/5090 दिनांक 13.01.2012 के तहत प्रति दिन प्रति गाय रूपये 5 से बढ़ाकर रूपये 20 प्रतिदिन प्रति गाय कर दिया इस लिए दिल्ली सरकार से उनका वित्तीय योगदान प्रतिदिन प्रति गाय रूपये 20 है व सम्बन्धित दिल्ली नगर निगम का वित्तीय योगदान रूपये 20 प्रति दिन प्रति गाय है।

सप्ताह में दो बार पशुपालन ईकाई के पशु चिकित्सा अधिकारी और सम्बन्धित नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी की एक टीम द्वारा संयुक्त रूप से दिल्ली सरकार के अधिकृत 5 गौशालाओं/गौसदन का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाता है। टीम इन गौसदनों और गौशालाओं का निरीक्षण करती है ताकि गाउओं की संख्या मृत्युदर, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, खानपान, रखरखाव, व अन्य प्रासांगिक पैरामीटर की जांच की जा सके।

Section Officer (Admn.)
Urban Development Deptt.
Delhi

दिल्ली छावनी परिषद

उपरोक्त 'क' के अनुसार

दक्षिण दिल्ली नगर निगम

तीनों दिल्ली नगर निगम (दक्षिणी, उत्तरी व पूर्वी) आबारा गायों व गौ वंशों को पकड़कर निम्नलिखित 5 गौशालाओं में भेजते हैं–

S No.	Name of Gaushalas
1.	Acharya Sushil Munni Gaushala, Ghummenhera
2.	Manav Gausadan, Rewla khanpur
3.	Shree Krishna Gaushala, Sultanpur Dabas,
4.	Gopal Gosadan, Hereveli
5.	Dabar Hare Krishna Gaushala, Surhera

उपरोक्त पांचों गौशालाएं पशु पालन विभाग दिल्ली सरकार के अधीन कार्य करती हैं। जिनका चयन पशु पालन विभाग दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है। गौशालाओं में गायों को चारा उपलब्ध कराने का दायित्व गौशाला प्रबंधन का है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

गौशालाओं पशु पालन विभाग दिल्ली सरकार के अधीन कार्य करती है। अतः गौशालाओं में गायों को चारा उपलब्ध कराने का दायित्व पशु पालन विभाग, दिल्ली सरकार के अधीन गौशाला प्रबन्ध का है जिसका समय-समय पर पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की टीम द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाता है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

गौशालाओं में गउओं के लिए चारा उपलब्ध कराने का दायित्व दिल्ली सरकार एवं निगमों का है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा रूपया 20 चारा राशि के रूप में प्रति गाय प्रति दिन आवंटित गौशाला को दिया जाता है।

Delhi
Delhi